

दिनांक 26-27 अगस्त, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में
'शहरी अभिशासन में नवाचार' कार्यशाला पर पृष्ठभूमिक नोट

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा
प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं विश्व बैंक के साथ आयोजित

संदर्भ

भावी स्थिति भयावह प्रतीत होती है। भारत के शहरों में पहले से ही रहने वाले लगभग 380 मिलियन लोगों को अगले दो दशकों में और 300 मिलियन लोगों को समायोजित करने के लिए कहा जाएगा। यह बढ़ती हुई संख्या है जो अब तक केवल "अपने गांवों में रहती थी", लेकिन अब इनमें से अधिकाधिक लोग महानगरों तथा छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों में रहने के लिए आ रहे हैं। शहरों में इस स्थानांतरण द्वारा निर्मित विशाल परिवर्तन, चीन के बाद 21वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा शहरीकरण माना जाएगा। अभी से ही कई चुनौतियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं।

परंतु इस विशाल नये शहरीकरण से भारत को अगले 20 वर्षों में कई नये अवसर प्राप्त होंगे। शहरों में उद्योग, वाणिज्य और उस प्रकार की आर्थिक वृद्धि पाई जाती है जिसने लाखों करोड़ों भारतीयों को समृद्ध बनाया है और बनाएगी। भारत का भावी शहर चाहे जैसा भी हो, उससे भारत के नागरिक विभिन्न आजीविकाओं, बुनियादी अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं, तथा इन्हें संभव बनानेवाली राजनीतिक प्रक्रियाओं का लाभ पा सकें। भारत के शहरी स्थानीय निकाय, शहरों एवं नगरों के निवासियों को उपलब्ध सेवा सुपुर्दगी का साधन है। वे स्थानीय संसाधन जुटाने, शहरी नियोजन करने और सेवाएं देने के लिए ज़िम्मेदार हैं और उनसे ये अपेक्षित हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शहर महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं, अतः सेवाएं प्रदान करने में स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका बढ़ाने की अभिवृत्ति बढ़ रही है। इससे, नई ज़िम्मेदारियां पूरी करने में शहरी स्थानीय प्राधिकारियों के वित्त तथा क्षमता पर बहुत दबाव पड़ता है।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 26-27 अगस्त, 2013 के दौरान 'शहरी अभिशासन में नवाचार' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य है शहर एवं राज्य के सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, व्यावसायिकों और शोधकर्ताओं के इन समुदाय को इकट्ठा लाकर, भारत तथा

भारत से बाहर के शहरी अभिशासन, चुनौतियों व नई अभिशासन पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करना।

उद्देश्य

शहरी वृद्धि एवं विकास का बेहतर प्रबंधन करने और इन शहरों का उचित शासन चलाने की संरचनात्मक एवं संस्थागत समस्याओं पर विचार करने हेतु, इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- 1) भारतीय शहरी संदर्भ में अच्छा अभिशासन का अर्थ समझना,
- 2) भारतीय शहरों के बेहतर अभिशासन हेतु "दृष्टि" विकसित करना
- 3) संस्थागत संरचनाएं, सेवा सुपुर्दगी, वित्तपोषण एवं नागरिक सहभागिता के क्षेत्रों में अभिनव पद्धतियां और उत्तम पद्धतियों पर चर्चा करना
- 4) उपनगरों में अभिशासन और सेवा सुपुर्दगी के उद्भव तथा चुनौती पर चर्चा करना
- 5) सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की शहरी अभिशासन कार्यसूची बताने के लिए नीति निर्देशों पर चर्चा करना।

सत्र

डेढ़ दिन की कार्यशाला में निम्न पांच सत्र लिए जाएंगे:

- सत्र I: स्थानीय सशक्तीकरण एवं जवाबदेही
सत्र II: नगरपालिका वित्त
सत्र III: महानगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन और अभिशासन
सत्र IV: सेवा सुपुर्दगी
सत्र V: नागरिक एवं समुदाय सहभागिता